Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/256/2005/गंगानगर

हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति सुथार निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला गंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री एन.के.गोयल वकील अपीलार्थी
श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः..3.4.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2004 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188 व 209 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को रोही नांगलिया के खसरा नम्बर 136 की 20 बीघा भूमि सन् 1983–84 में अस्थाई काश्त पर आवंटन होकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में चली आ रही है। आवंटन के पश्चात जिस भूमि पर वादी को कब्जा दिया गया उसी पर वह काबिज चला आ रहा है। परन्तु दिनांक 1.6.01 को पटवारी हल्का ने बताया कि वादी खसरा नम्बर 136 की 20 बीघा में से 10 बीघा भूमि के स्थान पर इससे चिपते खसरा नम्बर 37 की 4.16 बीघा व खसरा नम्बर 39 की 5.04 बीघा पर काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी को खसरा नम्बर 136 की 20 बीघा में से 10 बीघा भूमि कमलजन कर उसके स्थान पर वादी के कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 37 की 4.16 बीघा व खसरा नम्बर 39

की 5.04 बीघा रकबा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावे व वादी को उक्त भूमि पर आरजी काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी राज्य सरकार ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 15.3.2004 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्व वादी अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.11.2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी अपीलार्थी को खसरा नम्बर 136 में 20 बीधा आवंटित की गई थी। परन्तु पटवारी हल्का ने कब्जा देते समय खसरा नम्बर 136 की 10 बीधा भूमि पर तथा शेष 10 बीघा भूमि खसरा नम्बर 37 व 39 की भूमि पर दिया तब से वादी अपीलार्थी का इस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का की गलती की सजा अब वादी अपीलार्थी गरीब काश्तकार को नहीं दी जा सकती। वादी अपीलार्थी उसे जहां कब्जा दिया गया उस पर काबिज चला आ रहा है। जिससे वादी खसरा नम्बर 37 व 39 की कुल10 बीधा पर आरजी काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। वादी अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है। जहां कब्जा दिया गया वहीं पर काबिज है। वर्ष 1986 से किसी भी काश्तकार की टी.सी. को नवीनीकृत नहीं किया गया है तथा न ही पूर्व से टी.सी. आवंटी को बेदखल किया गया है। जिससे वादी अपीलार्थी की टी.सी. को स्वतः नवीनीकृत माना जावेगा। इसी आधार पर वादी आरजी काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि घग्घर बाढ नियंत्रण सिंचाई परियोजना की भूमि है जिसे न तो टी.सी. पर आवंटित किया जा सकता है एवं न ही ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। टी.सी. आवंटी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। आराजी खसरा नम्बर 37 व 39 वादी अपीलार्थी को आवंटित नहीं की गई है तथा अपीलार्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में है। अतिक्रमी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि वर्ष 1983 में वादी अपीलार्थी को खसरा नम्बर 136 में 20 बीधा भूमि टी.सी. पर आवंटी हुई थी। टी.सी. का नवीनीकरण नहीं किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 37 व 39 की 10 बीघा भूमि पर वादी अपीलार्थी का नाजायज कब्जा है। खसरा नम्बर 37 व 39 आवंटित की जाना साबित नहीं कराया गया है, वादी का वाद खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि खसरा नम्बर 37 व 39 पर वादी को कब्जा दिया जाना साक्ष्यों से साबित नहीं कराया गया है। खसरा नम्बर 37 व 39 घग्घर बाढ नियंत्रण सिंचाई परियोजना क्षेत्र में है जो न तो टी.सी. पर आवंटित की जा सकती हैर नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत खातेदार घोषित किया जा सकता है, अपील खारिज की है।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 136 वर्ष 1983 में वादी अपीलार्थी को टी.सी. पर आवंटित की गई थी। इसका नवीनीकरण किया जाना वादी अपीलार्थी द्वारा साबित नहीं कराया गया है। खसरा नम्बर 37 व 39 की भूमि वादी अपीलार्थी को टी.सी. पर आवंटित की जाना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 136 की 10 बीधा पर तथा शेष 10 बीघा खसरा नम्बर 37 व 39 की भूमि पर कब्जा सम्भलाया था, मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। खसरा नम्बर 37 व 39 पर अपीलार्थी का कब्जा बतौर अतिक्रमी के रहा है। अतिक्रमी को धारा 88 अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इसके साथ ही विवादित भूमि घग्घर बाढ नियंत्रण सिंचाई परियोजना क्षेत्र में स्थित है जिसका टी.सी. आवंटन भी नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील सारहीन होने से खारिज करना उचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2004 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष